प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2006–07

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2006–07

मंत्री	श्री जयंत कुमार मलैया
सचिव	श्री सेवाराम
आयुक्त	श्री मलय श्रीवास्तव
उप सचिव	श्री नरेश पाल
अवर सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
अवर सचिव	श्री आर.के. चौकसे

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार का हर विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यो का लेखा–जोखा वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है । इसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2006–07 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(सेवाराम)
सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

भोपाल
दिनांक

भाग–एक

विभागीय संरचना

1. संचालनालय और उसके संभागीय कार्यालय

विभाग के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है, जो अपने 7 संभागीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण करता है।

नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए संचालनालय स्तर पर मुख्य अभियंता और संभागीय स्तर पर कार्यपालन यंत्री के अधीन यांत्रिकी प्रकोष्ठ गठित हैं । इंदौर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय अधीक्षण यंत्रियों के कार्यालय भी गठित हैं ।

विभाग के अधीन नगरीय निकायों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में तीन नवीन जिलों को छोडकर शेष 45 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित है । इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं । विभाग के अन्तर्गत स्थापित संचालनालय उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर दर्शाया गया है ।

2. नगरीय स्थानीय संस्थायें

2.1 विभाग के अधीन मध्यप्रदेश में कुल 338 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर पालिक निगम, 87 नगरपालिका परिषद तथा 237 नगर पंचायतें हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट–दो में दिया गया है ।

2.2 राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 51–एफ–1–42/05/18–3 दिनांक 23.12.05 से भोपाल के पास कोलार क्षेत्र के 20 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उक्त क्षेत्र को ''लघुत्तर नगरीय क्षेत्र'' के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम निम्नानुसार हैः–

1 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
2 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
3 पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
4 विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
5 सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955
6 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

7 स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

8 मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

9 मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के संचालन के लिए क्रमशः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाये गये है । इन अधिनियमों में निकायों के गठन, परिषदों के निर्वाचन, उनके कार्य संचालन, कर्त्तव्यों, शक्तियों और राज्य सरकार की भूमिका संबंधी विस्तृत प्रावधान है । उक्त अधिनियमों में नगरीय निकायों के वित्तीय स्त्रोतों और लगाये जाने वाले करों और फीस के बारे में स्पष्ट प्रावधान है ।

प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी है । विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है । नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किया जाता है ।

———————

भाग–दो

बजट

प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करती है । इसके लिए विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है । विभाग के वर्ष 2006–07 के बजट में नगरीय निकायों के लिए निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

(1)	आयोजना	51905.42 लाख
(2)	आयोजनेत्तर	100121.40 लाख
	योगः–	152026.82 लाख

विभाग की आयोजना मद में मुख्य रूप से जे एन एन यू आर एम/ आई एच एस डी पी तथा ए डी बी प्रोजेक्ट तथा अन्य योजनाओं सहित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं शामिल है। आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को चुंगीकर, यात्रीकर से हुई हानि की क्षतिपूर्ति राशि,सड़कों के मरम्मत और मूलभूत कार्यो के लिए अनुदान की राशि शामिल रहती है ।

वर्ष 2006–07 में आयोजना और आयोजनेत्तर मदों में प्रावधानित राशि, प्राप्त आवंटन और दिसम्बर 2006 तक के व्यय का विवरण परिशिष्ट–तीन (1) एवं (2) पर है ।

———

भाग–तीन

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

1. शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को उपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है । इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड इस समय प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रू.522.64 पैसे से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवार की संख्या लगभग 9,22,000 है ।

इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम और लक्ष्य इस प्रकार हैः–

1.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है ।

1.2 स्वरोजगार के लिए रू. 50,000 तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम रू. 7,500 अनुदान दिया जाता है । 80 प्रतिशत ऋण बैंक देते है और 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगाना होती है ।

1.3 **स्वरोजगार कार्यक्रम** में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत विकलांग हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश है इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्थानीय आवादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किए जाने के निर्देश है ।

1.4 **हितग्राहियों के कौशल उन्नयन** के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है जिनमें रू. 2,000 प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है । प्रशिक्षण अवधि कम से कम 300 घण्टे होना चाहिए ।

1.5 **महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम** में कम से कम 10 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रू.1.25 लाख या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है और शेष राशि ऋण के रूप में बैंक से मिलती है ।

1.6 **बचत और साख समिति घटक** के तहत गरीब परिवारों की समिति गठित की जाती है जिसमें उन्हे छोटी–छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सके ।

1.7 **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** के तहत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इस कार्यक्रम में निर्माण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60:40 निर्धारित है । यह कार्यक्रम प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू है ।

1.8 **योजना के सामुदायिक संगठक घटक** में सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बालवाड़ी, आदि गतिविधियॉ चलाई जाती है ।

1.9 **प्राप्त केद्रांश और राज्यांश–**योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2005–06 में माह दिसंबर 06 तक प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2002–03	683.93	227.97	911.90
2	2003–04	818.32	149.71	968.03
3	2004–05	931.49	310.50	1241.99
4	2005–06	1096.75	365.59	1462.35
5	2006–07	2388.35	796.12	3184.47

1.10 वर्ष 2006–07 के लिए नियत लक्ष्य और उसके विरूद्ध माह जनवरी 2007 तक की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	648.49	8645 हितग्राही	202.28	3719 हितग्राही
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	1000.06	50064 प्रशिक्षणार्थी	206.84	11207
3	अधोसंरचना सहायता	292.57	–	35.32	117 सेवा केन्द्र
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	946.88	378752 मानव दिवस	286.50	99337 मानव दिवस
5	महिला एवं बच्चो का विकास कायक्रम अनुदान	503.75	403 समूह	45.18	46 समूह
6	बचत एवं साख समूह	556.27	2225 समिति	124.28	1040 समितियॉ
7	सामुदायिक संगठन घटक	543.96	–	94.26	579 वालवाड़ियॉ
8	सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण	–	–	18.04	–
9	स्थानीय निकायों का सूदृढ़ीकरण	–	–	32.12	–
10	प्रशासकीय व्यय	–	–	211.40	–
	योग–	4492.38	–	1256.22	–

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के संकेत के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारिण किया जाता है ।

2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

1. भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर 2005 में देश के बड़े शहरों में लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुर्ननवीनी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित **शहरों का चयन मिशन शहरों के रूप में** हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

2. सामान्य प्रशाासन विभाग के आदेश दिनांक 3.11.2006 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है । मिशन के समग्र पर्यवेक्षण के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन विभागीय आदेश दिनांक 7.2.2007 से किया गया है ।

3. शासन द्वारा संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को मिशन के क्रियान्वयन के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत किया गया है ।

4. मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** तैयार किये जाकर भारत सरकार को वर्ष 2005–06 में प्रस्तुत किये गये हैं :–

क्रमांक	शहर	परियोजना राशि
1	इंदौर	2745.75 करोड़
2	भोपाल	2153.00 करोड़
3	जबलपुर	1929.00 करोड़
4	उज्जैन	1408.55 करोड़

5. मिशन के अंतर्गत शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान सबसे पहले अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करने वाले देश के तीन राज्यों में मध्यप्रदेश सम्मिलित है । मान. केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में मध्यप्रदेश की इस उपलब्धि का उल्लेख किया है ।

6. हेरीटेज शहरों की श्रेणी के अंतर्गत होने से भारत सरकार द्वारा जारी नये दिशा–निर्देशों के अनुसार उज्जैन का सिटी डेवलपमेंट प्लान संशोधित कर भारत सरकार को भेजा गया है, जो उक्त स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

7. मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भोपाल तथा इंदौर शहर के संबंध में भारत सरकार /निकायों के साथ **त्रि–पक्षीय अनुबंध** का निष्पादन दिनांक 23 मार्च 2006 को किया गया । जबलपुर के संबंध में दिनांक 19.5.2006 को अनुबंध निष्पादित किया गया । मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अनुबंध करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है ।

मार्च 2006 की स्थिति में भारत सरकार से मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत कराने वाले देश के 3 राज्यों में मध्यप्रदेश सम्मिलित है ।

8. विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 के बजट में मिशन मद में रूपये 76 करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसे प्रथम अनुपूरक में बढ़ाकर 253.80 करोड़ कर दिया गया है ।

9. भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है उनमें से मध्यप्रदेश अनेक कार्यक्रमों को पहले ही लागू कर चुका है तथा शेष सुधार कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्रवाई जारी है ।

10. मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

वर्ष 2005–06

(राशि रू. लाख में)

स.क्र	शहर	परियोजना	लागत
1	भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2	भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00
3	भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	254.00
4	भोपाल	स्लम रीहेबिलीटेशन आफ रोशनपुरा	4686.88
5	भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
6	इंदौर	यशंवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
	योग		11269.88

वर्ष 2006–07

(रू. लाख में)

स.क्र.	**शहर**	**परियोजना**	**लागत**
1	जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस I	7801.00
2	जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस II	7081.00
3	भोपाल	नाला निर्माण	3057.00

4	भोपाल	रिन्यूअल ऑफ बैसिक इन्फास्ट्रक्चर इन स्केप मार्ट	811.04
5	भोपाल	रिन्यूअल ऑफ बैसिक इन्फास्ट्रक्चर इन एम.पी. नगर	1894.00
6	जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (लाल कुआं)	2472.00
7	जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाईं)	2314.00
8	इंदौर	बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
9	इंदौर	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134 (इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी)	1242.40
10	इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
11	जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्क्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
12	जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1417.00
13	भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस– I	4027.00
14	भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस– II	4191.00
15	इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
		योग	83495.79

स्वीकृत परियोजनायें जिनमें केन्द्रांश/राज्यांश जारी होना हैः–

(रू. लाख में)

स.क्र.	**शहर**	**परियोजना**	**लागत**
1	भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	23776.00
2	इंदौर	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फ्राम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
3	इंदौर	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर.–9	3974.64
4	भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
5	भोपाल	रीहेबिलीटैशन आफ गंगानगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
6	भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी एंड राहुल नगर	5263.29
7	भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस –I	1710.00

8	भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेयी नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, मातामढ़िया, एंड वेलार कालोनी	5084.00
9	भोपाल	इन्द्रा नगर फेस–2	1342.87
10	इन्दौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेन्ट लोकेशन इन इन्दौर	6201.96
		योग	54453.80
		महायोग	**149219.47**

3 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

यह योजना केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में लागू की गई है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए गंदी बस्तियों का विकास करना है । यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय अरबन रिन्युवल मिशन के लिए चयनित मिशन शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों मे लागू की गई है । भारत सरकार ने दिनांक 2.2.2007 तक राशि रू. 19702.19 लाख की 22 परियोजनाए स्वीकृत की है । स्वीकृत परियोजना के तहत 14400 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास किया जाएगा ।

निकायवार स्वीकृत परियोजनाएं निम्नानुसार हैः–

(राशि रू. लाखों में)

स. क	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IHSDP (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार)				
1	विदिशा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	70	184.98
2	गंजबासौदा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	60	170.51
3	सिरोंज	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	50	160.95
4	लटेरी	शहरी गरीबों को मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	-	44.87
5	ग्वालियर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	4576	5362.02
6	देवास पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	1216	1715.32
7	देवासपार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	1384	1932.57
8	खंडवा पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	1296	1738.39

9	खंडवा पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	812	1073.96
10	दमोह	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	104	229.83
11	बालाघाट	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	966	1297.95
12	बेरसिया	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	160	174.80
13	कुरवई	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	48	95.91
14	कटनी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	2183	2921.00
15	नरसिंहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	651	840.00
16	मझोली	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	160	216.00
17	बरेला	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	126	226.00
18	पाटन	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	110	228.00
19	शाहपुरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	104	153.89
20	देपालपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	96	400.00
21	पानसेमल	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	128	294.00
22	खुजनेर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अंद्यौसंरचना संबंधित परियोजना	100	241.24
		योग	14400	19702.19

4 नेशनल अर्बन इन्फारमेशन सिस्टम (NUIS) योजना

4.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में देश के 137 शहरों में जी.आई.एस. डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से ''नेशनल अर्बन इन्फारमेशन सिस्टम'' (एनयूआईएस) स्कीम लागू की है । इसके अतिरिक्त 24 शहरों में यूटीलिटी मेंपिंग का कार्य भी लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन किया गया है :–

1. देवास
2. ग्वालियर
3. जबलपुर
4. सागर
5. सतना
6. उज्जैन

7. भोपाल (यूटीलिटी मेंपिंग के लिये)

4.2 योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो के लिये भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा जबकि क्रय किये जाने वाले उपकरणों आदि पर होने वाला व्यय 64:36 के अनुपात में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना है ।

4.3 योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. को राज्य स्तरीय नोडल ऐजेन्सी मनोनीत किया गया है तथा सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

4.4 वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत राज्यांश के लिये रूपये 84.42 लाख का प्रावधान विभागीय बजट में किया गया है ।

योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाना है, जो प्रारंभ हो चुका है ।

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1 शहरी क्षेत्रों के लिये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मेनू में रोटी, सब्जी, दाल और चावल, दाल सब्जी दिया जाता है । गेंहू प्रचलन क्षेत्र में रूपये 2.00 पैसे (गेंहू/ चावल छोडकर) भोजन पकाने, मसाला आदि सामग्री पर व्यय निर्धारित किया गया है । भारत सरकार द्वारा रूपये 1.50 पैसे प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के मान से और रूपये 0.50 पैसे प्रति विद्यार्थी प्रति दिन के मान से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में व्यय किया जावेगा । शिक्षा सत्र वर्ष 2006 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रूपये 1086.38 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की राशि में किया गया है ।

भोपाल, जबलपुर और इन्दौर में नॉदी फाउन्डेशन हैदराबाद संस्था द्वारा शहरी क्षेत्रों के शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त विद्यालयों में भोजन वितरण किया जा रहा है । उज्जैन नगर सीमा में इस्कान संस्था द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है । भोपाल, जबलपुर और उज्जैन के लिये परिवहन हेतु रूपये 0.14 पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से दिया जाता है ।

वित्तीय वर्ष के जुलाई 2006 से अक्टूबर 2006 तक समस्त नगरीय निकायों को रूपये 511.60 लाख आवंटन दिया जा चुका है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 द्वितीय अनुपूरक बजट में रूपये 200.00 लाख का प्रावधान विभागीय बजट में मध्यान्ह भोजन के लिये किया गया है ।

2 पर्यावरण सुधार

इस योजना में प्रदेश की नगर पंचायतों की क्षेत्राधिकार में बसी गंदी बस्तियों के रहवासियों को पेयजल नाली, सड़क, बिजली और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा देने की व्यवस्था है । वर्ष 2005–06 के बजट में राशि रू. 114.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें 14250 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । साथ ही वर्ष 2006–07 में रू. 243.31 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसंबर 06 तक रू.115.00 लाख का व्यय किया गया है जिसमें 14375 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

3 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं

3.1 सामान्य जल आवर्धन योजना– नगरों की सामान्य जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 30 प्रतिशत् और शासन/वित्तीय संस्था का ऋण 70 प्रतिशत् के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 70 प्रतिशत और शासन/ वित्तीय संस्था से 30 प्रतिशत् राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । 40 योजनाएं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल एवं देवास शहरों की योजनाएं संबंधित नगर निगमों तथा हरदा, दतिया एवं दमोह नगरपालिका की योजनाए संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं है ।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित जल प्रदाय योजना– यह योजना 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए है । योजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार है :–

1. भारत सरकार से 50 प्रतिशत् अनुदान
2. राज्य सरकार से 45 प्रतिशत् अनुदान
3. संबंधित निकाय का अंशदान 5 प्रतिशत्

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 155 नगरों का चयन किया गया है । इनमें से 152 नगरों की योजनायें भारत सरकार को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 147 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है । 05 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त होना है । स्वीकृत योजनाओं में से 131 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अभी तक कुल 42 नगरों की योजनांए पूर्ण होकर संचालित है ।

3.3 बरसात के पानी का भूमिगत संरक्षण– भूमि विकास नियम 1984 में 7 अप्रैल 2000 को किये गये संशोधन के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र तक के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' का प्रावधान अनिवार्य किया गया था जिसे संशोधित कर दिनांक 29.6.2001 को 250 वर्ग मीटर, से अधिक क्षेत्र के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है।

नगरीय निकायों के क्षेत्रों में जिन भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' की व्यवस्था की जावेगी, उन भवनों में प्रथम बार (एक वर्ष) के लिये सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान दिनांक 23.3.2001 से लागू किया गया है ।

नगरीय निकायों द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा के साथ 38,401 भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' के प्रावधान कर भवन अनुज्ञाएं जारी की गई है, जिनमें से अब तक 5569 भवनों में ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' का प्रावधान कर लिया गया हैं ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. ए.डी.बी. परियोजना

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है।

1.2 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल,इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर शहरो को चुना गया है।

1.3 योजना का मुख्य उद्देश्य इन शहरों में पर्यावरण,अधोसंरचना एवं सेवाओं में सुधार जैसे जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण,जल–मल निकासी प्रणाली, जल–मल शोधन संयत्र लगाने,ठोस अपशिष्ट के प्रबंध आदि के साथ–साथ जन भागीदारी तथा सामुदायिक विकास करना है।

1.4 ए.डी.बी. द्वारा इस योजना में होने वाले व्यय का आंकलन निम्नानुसार किया गया हैः–

क्र.		कार्य का विवरण	(मिलियन यू. एस.डालर में) कुल लागत	कुल लागत रू. करोड़ में
अ.	1	जलापूर्ति, सीवर जलमल निकासी बरसाती पानी की निमासी एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंध	187.70	932.30
	2	जल भागीदारी/सामुदायिक विकास	6.40	31.80
	3	क्रियान्वयन सहयोग	19.30	95.90
		योग (अ)	213.40	1060.00
ब		आकस्मिता	36.40	180.90
स		टैक्स एण्ड ड्यूटीज	10.80	53.60
द		ब्याज आदि	14.40	71.50
		कुल योग (अ ब स द)	**275.00**	**1366.00**

1.5 उक्त योजना हेतु आंकलित लागत 275.00 मिलियन यू.एस.डालर में से एडीबी की 181 मिलियन डॉलर, यू.एन.हेबीटेट की 0.5 मिलियन डॉलर, राज्य सरकार की रूपये 228 करोड़ (45.9 मिलियन डॉलर) तथा संबंधित स्थानीय निकायों की रूपये 235 करोड़ (47.6 मिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी होगी ।

1.6 एडीबी से प्राप्त होने वाली राशि 181 मिलियन यू.एस.डॉलर (66 प्रतिशत)भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप मे प्राप्त होगी । ऋण राशि ब्याज सहित 20 वर्ष (निर्माण अवधि के पांच वर्ष सम्मिलित कर) में वापिस करनी होगी। योजना की क्रियान्वयन अवधि पांच वर्ष होगाी। प्राप्त होने वाले ऋण पर वर्तमान में 9.0 प्रतिशत ब्याज देय है ।

1.7 परियोजना क्रियान्वयन में स्थानीय व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक नगर में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक नगर स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रत्येक नगर में समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।

1.8 यूएनहेबीटेट की सहायता से क्रियान्वित ''वाटर फार एशियन सिटीज'' कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न गतिविधियों का भी संपादन किया गया है :–

- भोपाल,इन्दौर,ग्वालियर एवं जबलपुर में पावर्टी पॉकेट(गरीब रहवासी क्षेत्र) का आंकलन तथा उसके आधार पर पायलट स्तर पर 5000 घरों को जल एवं स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित।
- गरीब–उन्मुख सुशासन सुनिश्चित करने हेतु जेन्डर मेनस्ट्रीमिंग स्ट्रेटजी का विकास तथा क्रियान्वयन।
- मूल्य आधारित जल,स्वच्छता एवं सफाई–शिक्षा के क्षेत्र में चारों शहरों में वाटसन क्लासरूम का निर्माण।

1.9 नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु यूएनहेबीटेट के सहयोग से निम्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन में वर्ष 2006–07 में लगभग 304 व्यक्तियों (209 अधिकारी एवं 95 जन प्रतिनिधि) ने जनवरी 2007 तक हिस्सा लिया।

- एस.जी.एस.आई.टी.एस.,,इन्दौर में जल मांग प्रबंधन की अवधारणा तथा उसके क्रियान्वयन के तरीको पर प्रशिक्षण ।
  आई.आई.आर.एस,देहरादून में जीआईएस प्रयोग संबंधी शहरी अधोसंरचना पर आधारित जीआईएस मैप को समझने हेतु उपयुक्त इनफॉरमेशन सिस्टम पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण ।
- एन.आई.एफ.एम,फरीदाबाद में वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा सुधार सहित परियोजना के नियोजन तथा समीक्षा पर प्रशिक्षण ।
- आस्की, हैदराबाद में वरिष्ठ अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों हेतु जल एवं स्वच्छता की उन्नत सेवा प्रदाय के संबंध में प्रशिक्षण।

1.10 संस्थागत सुधार हेतु परियोजना के अंतर्गत शासन से अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन हेतु निम्न दस्तावेजों के प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किए गए –

- अर्बन डवलपमेन्ट पॉलिसी ।
- अर्बन लैंड पॉलिसी।
- म्युनिसिपल सर्विसेज रैग्युलेटरी कमीशन ।

- अर्बन वाटर सप्लाई एवं सेनिटेशन बोर्ड ।

1.11 परियोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों की आय में वृद्धि के लिए, चारों नगरों में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हेतु,एक फाइनेशियल इम्प्यूव्हमेन्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है ।

1.12 परियोजना के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया में त्रुटि रहित,त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चारों शहरों में ई–टेण्डरिंग लागू की गई है ।

1.13 परियोजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों के संकल्पना प्रतिवेदन तथा विस्तृत रुपांकन प्रतिवेदन व निविदा प्रपत्र तैयार कर तकनीकी निष्पादन उपरान्त निविदाएं आमंत्रित की गई एवं कार्यादेश जारी किए गए, जिसका विस्तृत विवरण दिनांक 30.01.07 तक निम्नानुसार हैः–

(रू. करोड़ में)

क्र0	विवरण	पैकेज की संख्या	अनुमानित लागत
1	कुल पैकेज	100	1125.20
2	संकल्पना पतिवेदन	90	975.00
3	उप परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्रपूर्ण	76	846.76
4	तकनीकी निष्पादन पूर्ण	74	784.17
5	निविदा आमंत्रण	61	634.09
6	कार्यादेश जारी	20	66.36
7	कार्य पूर्ण	5	4.67

1.14 परियोजना में ठोस अपशिष्ट निष्पादन हेतु विभिन्न नगरों की आवश्यकता के अनुरूप निम्नानुसार मशीन एवं अन्य संयंत्र क्रय किये गये है :–

क्र0	विवरण	भोपाल		इन्दौर		जबलपुर		योग	
		कार्यादेश जारी	प्राप्त संख्या	कार्यादेश जारी	प्राप्त संख्या	कार्यादेश जारी	प्राप्त संख्या	कार्यादेश जारी	प्राप्त संख्या
1	बुलडोजर	1	1	1	1	.	.	2	2
2	जे.सी.बी.मशीन	3	3	3	3	.	.	6	6
3	डम्पर	6	6	4	4	.	.	10	10
4	ट्रक आधारित कम्पेक्टर	7	.	4	.	.	.	11	.

5	छोटे कान्टेनर	450	.	320	.	304	.	1074	.
6	डम्पर प्लेसर वाहन	11	.	20	.	.	.	31	.
7	बड़े कन्टेनर	50	.	160	.	103	.	313	.
8	कन्टेनर सहित व्हील बेरोज	600	.	320	.	285	.	1205	.
9	कन्टेनर रहित व्हील बेरोज	0	.	0	.	90	.	90	.
10	तीन पहिया साइकिल रिक्सा (कन्टेनर सहित)	0	.	160	.	111	.	271	.
11	मेकेनिकल रोड स्वीपर	2	.	1	.	1	.	4	.
12	छोटी जे.सी.बी. मशीन	2	.	0	.	0	.	2	.
13	अवारा पशु वाहन	2	.	0	.	0	.	2	.
14	कचरा संग्रहण वाहन छोटा)	20	.	0	.	0	.	20	.

2 गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम

प्रदेश के भोपाल, इन्दोर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों में डी.एफ.आई.डी.सहायतित ''गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम'' का क्रियान्वयन माह सितम्बर 06 से प्रारंभ किया गया है । लगभग रूपये 350.00 करोड़ की लागत से कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो में चयनित शहरों में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किये जायेगें :–

2.1.1 शहरी गरीबों को भागीदार बनाते हुए नगर नियोजन द्वारा प्रबंधन की प्रक्रिया को कार्यरूप देना ।

2.1.2 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गंदी बस्तियों में पर्यावरण अधोसंरचना में सुधार की प्रक्रिया लागू करना और इससे गरीबों को सुविधाओं के संधारण और संचालन में भागीदार बनाना ।

2.1.3 राज्य और नगर पालिका स्तर पर शहरी गरीबों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिये सशक्त संस्थागत ढांचा तैयार करना ।

2.1.4 शहरों को उनके विकास और वृद्धि दर के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिये बेहतर नीतिगत, वैद्यानिक और संस्थागत वातावरण तैयार कराना ।

2.1.5 शहरी गरीबों को पीने के साफ पानी और स्वच्छता सहित बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने में सहयोग देना।

2.1.6 राज्य तथा नगर पालिक निगमों को उनके कार्यो के प्रति उत्तरदायी, प्रभावी और जनमानस की आवश्यकताओं के प्रति पारदर्शी तथा सहभागी बनाने हेतु उनके अमले का दक्षता उन्नयन ।

2.2 परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार तथा चयनित शहरों को परामर्शी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये ब्रिटिश सरकार तथा जी.एच.के. इन्टरनेशनल, (यू.के.) को तकनीकी सहायता का कार्य सौंपा गया है । कन्सलटेंट्स की टीम ने प्रदेश में काम करना प्रारंभ कर दिया है ।

2.3 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति गठित की गई है तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिये ''म्युनिसिपल स्ट्रेथिंग यूनिट'' (MSU) का गठन किया जा चुका है ।

2.4 गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रथम चरण में लिये जाने वाले कार्यो की पहचान करने में नगरीय संस्थाओं को पूरी तरह भागीदार बनाया गया है तथा शहरों के स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षों से विचार–विमर्श उपरांत ''त्वरित कार्य योजना'' (Early Action Plan) को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1 अयोध्या बस्ती योजना

1.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरों में स्थित गंदी बस्तियों के समन्वित विकास के लिए दिनांक 2 अक्टूबर 2004 से अयोध्या बस्ती योजना लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया गया है । इस योजना में नगरीय निकायों द्वारा गंदी बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं यथा–जलप्रदाय, स्वच्छता, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, मार्गो तथा नालियों का निर्माण एवं सामुदायिक विकास आदि उपलब्ध कराई जाएंगी ।

1.2 योजनांतर्गत किए जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्य के लिए राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्नयन कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी कार्यक्रम सहित सांसद विधायक निधि और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले धन तथा कालोनाईजर नियमों के तहत प्राप्त आश्रय शुल्क से की जायेंगी ।

1.3 योजना के अंतर्गत बड़े शहरों यथा–इन्दौर, भोपाल,जबलपुर,ग्वालियर और उज्जैन में पॉच–पॉच बस्तियों तथा शेष सभी शहरों में एक–एक बस्ती का चयन किया गया है । इस प्रकार कुल 357 बस्तियों का चयन किया गया है ।

1.4 योाजनांतर्गत वर्ष 2006–07 में रू. 334.46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । यह राशि आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य निकायों को आवंटित की गई है ।

2 स्ट्रीट वेंडर योजना

भारत सरकार, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शहरों में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले (नेशनल कन्सल्टेशन आफ स्ट्रीट वेंडर्स) लोगों के लिए, वर्ष 2004 में नीति तैयार की गई है । राज्य शासन ने इस नीति के अनुसरण में, शहरों में गरीब तबके के ऐसे लोगों के लिए जो फेरी लगाकर या सड़कों के फुटपाथ, गलियों के नुक्कड़ आदि पर अस्थाई स्टाल लगाकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय कर जीविकोपार्जन करते हैं, योजना बनाकर लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस योजना में नगरीय निकायों में दिनांक 30.7.2006 तक शहरी सर्वेक्षण कराया गया । प्रदेश के 48 जिलों में 93,515 फेरीवालो का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षित फेरीवालों में 70,640 को पहचान पत्र जारी किये गए हैं, और शेष 22,875 फेरीवालों को परिचय पत्र वितरित करने की कार्रवाई प्रचलित है । शहरी फेरीवालों को व्यस्थित करने के लिए प्रदेश में 966 हाकर्स जोन/कार्नर का विकास करना प्रस्तावित है ।

3. सिंहस्थ 2004 उज्जैन

मध्यप्रदेश राज्य की गौरवशाली परम्परा के प्रतीक सिंहस्थ कुंभ महापर्व का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर बसी पवित्र नगरी उज्जैन में किया जाता है । इसी परम्परा का निर्वहन करते हुए वर्ष 2004 में 5 अप्रैल 2004 से 4 मई 2004 तक सिंहस्थ 2004 कुंभ मेला का आयोजन किया गया ।

2 सिंहस्थ 2004 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा विभाग के बजट से स्थानीय आवश्यकता के जो कार्य करवाये गये,उनके व्ययों का कार्योत्तर परीक्षण किया गया, और वित्त विभाग की सहमति से उन पर मंत्री परिषद् समिति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना, आंकड़ों का मिलान/समीक्षा तथा लेखा परीक्षण आदि संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई विभाग द्वारा संपादित की जा रही है । मेला कार्यालय सिंहस्थ के पद समाप्त हो जाने के कारण मेला अधिकारी के आहरण एवं संवितरण अधिकार विभाग द्वारा कलेक्टर, उज्जैन को प्रत्यायोजित किये गये हैं । मंत्री परिषद् समिति की दिनांक 26.7.06 को संपन्न हुई बैठक में सिंहस्थ 04 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए 14 कार्यो पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है । तद्नुसार मेले की व्यवस्था हेतु वर्ष 2006–07 में रूपये 333.26 लाख का आवंटन कलेक्टर जिला–उज्जैन को उपलब्ध कराया गया है ।

4 बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के लिये वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 की अवधि के लिए रूपये 361.00 करोड़ अनुदान की अनुशंसा की गई है । यह राशि प्रतिवर्ष रूपये 72.20 करोड के मान से नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, डाटाबैस निर्माण एवं जल प्रदाय आदि के कार्यो के लिए उपलब्ध कराई जानी है ।

भारत सरकार से वर्ष 05–06 में प्राप्त राशि रूपये 72.20 करोड़ तथा वर्ष 2006–07 में प्राप्त प्रथम किश्त की राशि रूपये 36.10 करोड़ नगरीय निकायों को उपलब्ध

कराई गई है । निकायों द्वारा इस राशि से वित्त आयोग की मंशा के अनुरूप कार्य सतत् रूप से किये जा रहे है ।

बारहवे वित्त आयोग ने **''विशेष समस्या''** के अन्तर्गत देवास शहर के लिए रूपये 25.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की है । यह राशि वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक 4 वर्षो में प्रतिवर्ष रूपये 6.25 करोड़ के हिसाब से नगर निगम देवास को उपलब्ध कराई जायेगी ।

देवास शहर के विकास के लिये बनाई गई कार्य योजना में देवास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :–

(रू. लाख में)

1	2.25 एम.एल.डी. नागदा वाटर सप्लाय स्कीम	276.00
2	5.00 एम.एल.डी. राजानल वाटर सप्लाय स्कीम	548.75
3	देवास शहर के नालों का निर्माण	559.25
4	सडकों का निर्माण	616.00
5	देवास शहर में पाईप लाईन विस्तार	500.00
	योग	2500.00

इस योजना में वर्ष 06–07 में भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में रूपये 468.75 लाख प्राप्त हुए है जो नगर निगम देवास को उपलब्ध कराये जायेगें ।

5 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिये विशेष निधि का गठन

विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को पात्रतानुसार दी जाती है । ऐसी स्थिति में नगरीय निकायों को विशेष आवश्यकताओं और आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी । उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकायों के अनिवार्य एवं एच्छिक कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु विशेष निधि का गठन किया गया है ।

इस निधि में विभाग को आयोजनेत्तर मदों जैसे सडक मरम्मत अनुरक्षण, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग पृथक से निधि के रूप में रखा जावेगा जिससे निकायों को अनुदान दिया जावेगा । इस निधि से अनुदान स्वीकृत करने के लिए ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम 2006'' बनाये गये है।

(ई) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1 पेंशन योजना

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में संचालनालय स्तर पर 'कन्ट्रोलर ऑफ पेंशन फॉर लोकल बॉडीज'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता

खोला गया है जिसमें पेंशन निधि की राशि जमा की जा रही है । अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम के 12 प्रतिशत् की दर से तथा नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान की 15 प्रतिशत राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जाती है । आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पेंशन निधि के नियंत्रक है ।

योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2007 तक पेंशन/परिवार पेंशन के कुल 9918 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। इन पेंशनरों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में पेंशन के 803 प्रकरण निराकृत किये गये हैं ।

प्रदेश के नगर पालिक निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये स्वयं पेंशन योजना संचालित कर रहे है ।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/003/नियम/चार दिनांक 13.4.05 के परिपालन में नगरीय निकायों में दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू करने की कार्यवाही प्रचलित है ।

2 परिवार कल्याण निधि योजना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों (ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, और उज्जैन नगर निगम को छोड़कर) के कर्मचारियों के लिए अक्टूबर, 1987 से परिवार कल्याण निधि योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत संचालनालय द्वारा पृथक से ''संचालक परिवार कल्याण निधि'' खाता बैंक में खोला गया है जिसमें निकाय के कर्मचारियों के वेतन से मासिक अभिदान की राशि काटी जाकर जमा की जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रूपये में)
1	प्रथम श्रेणी	160.00
2	द्वितीय श्रेणी	120.00
3	तृतीय श्रेणी	100.00
4	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5	सफाई कामगार	30.00

इस योजना के सदस्य अधिकारी/कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा नियमों में उल्लेखित परिवार के अधिमान क्रम के अनुसार दावेदार को क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000/– और 30,000/– की राशि का भुगतान किया जाता है । सेवानिवृति उपरांत अभिदाता को उसके खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनवरी, 2007 तक योजना के अन्तर्गत कुल 722 सेवानिवृत/मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को लाभान्वित किया गया है और कुल राशि रूपये 1,69,99,580/–का भुगतान किया गया है ।

3 सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

दिनांक 1.4.1988 से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है । इस योजना में दिये जाने वाले आर्थिक लाभ को पुनरीक्षित करते हुए अप्रैल 2006 से प्रत्येक सफाई कामगार के वेतन से रूपये 5.00 प्रतिमाह की राशि काटी जाती है । इस योजना में सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 25,000/– और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 50,000/– की राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान की जाती है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में जनवरी, 2007 के मध्य तक कुल 42 सफाई कामगारों को उनकी मृत्यु उपरांत उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 4,30,000/– भुगतान कर लाभान्वित किया गया है । इन 42 स्वीकृत दावा प्रकरणों में 11 प्रकरण ऐसे भी शामिल है जिनमें नवीन निर्देशों के अनुसार रूपये 25,000/– के मान से राशि का भुगतान किया गया है ।

———————

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक कार्य

1 विभाग का प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन कार्यक्रम

1. विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों–यथा नगर पालिक निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, मेयर–इन–कौसिंल/ प्रसिडेंट–इन–कौसिंल के सदस्यों तथा पार्षदो को विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं, लागू की गई नीतियों तथा कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । विशेष कर महिला पार्षदों के लिये पृथक से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया ।

2. विभाग के प्रशासकीय एवं तकनीकी अधिकारियों जैसे नगर पालिक निगमों के आयुक्त, नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य प्रशासकीय अधिकारी तथा यंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय–समय पर आयोजित किये गये है ।

3. एशियाई विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में क्रियान्वित ''शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार कार्यक्रम'' के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

4. विभाग की प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से निम्नांकित संस्थाओं के माध्यम से की जाती है :–

1. आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल ।
2. क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ ।
3. आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भोपाल ।
4. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया हैदराबाद ।

5. वर्ष 2006–07 में कुल 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 512 अधिकारी/कर्मचारी और 577 निर्वाचित पदाधिकारीगण इस प्रकार कुल 1089 अधिकारी/पदाधिकारी लाभान्वित हुए ।

उपर्युक्त समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 मार्च 2007 तक पूर्ण कर लिये जावेगें । वर्ष 2007–08 में शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें ।

2 सूचना प्रौद्योगिकी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों का कम्प्यूटरीकरण करने के अभिनव प्रयास किये जा रहे है । नगरीय निकायों की 21 गतिविधियां जैसे सम्पत्ति कर, जल दर, लायसेन्स फीस आदि कम्प्यूटरीकरण हेतु चिन्हित की गयी हैं । शासन द्वारा लागू

की जाने वाली ई–गर्वनेंस योजना के क्रियान्वयन हेतु भी प्रयास जारी है । इस हेतु विभाग का नेशनल ई–गर्वनेंस योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है ।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के कम्प्युटरीकरण के लिये विभाग के बजट में रूपये 10.00 लाख का प्रावधान करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है । संचालनालय की लेखा शाखा पूर्णतः कम्प्युटरीकृत है । विभाग के अधीन नगर निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम, देवास और सागर नगर पालिका बालाघाट, खरगौन, डबरा एवं सनावद में कम्प्युटरीकरण का कार्य प्रगति पर है । प्रदेश के नगरीय निकायों के कम्प्यूटरीकरण के लिये डी.एफ.आई.डी. से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

3 वीडियो कान्फ्रेसिंग

नगरीय निकायों से जीवंत संपर्क बनाये रखने के लिये विभाग द्वारा जुलाई 2006 से वीडियों कान्फ्रेसिंग प्रारंभ की गई है । यह कान्फ्रेंस प्रत्येक माह में 2 बार आयोजित की जाती है । एक बार नगर निगमों के आयुक्तों को तथा दूसरी बार नगरपालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है । इस कान्फ्रेसिंग में जन साधारण से जुडे मुद्दों को उठाया जाकर उनके समाधान की स्थिति नगरीय निकायों से प्राप्त की जाती है । योजना संबंधित प्रगति की समीक्षा भी कान्फ्रेसिंग में की जाती है। जिन निकायों में योजना की प्रगति अच्छी नहीं है उन निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सचेत भी किया जा रहा है ।

वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम के कारण विभाग के अधिकारी काफी सक्रिय हो गये है, और जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण के संबंध में संवेदनशीलता भी दिखा रहे है ।

4 आन लाईन मनी ट्रांसफर

नगरीय निकायों को देय आर्थिक सहायता की राशि पूर्व में विभाग द्वारा टी.टी. के माध्यम से उनके खातों में स्थानांतरित की जाती थी, जिसमें काफी समय लगता था । उक्त प्रक्रिया को संशोधित कर अब अधिकांश नगरीय निकायों की सहायता राशि ''आन लाईन मनी ट्रांसफर'' के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है, जिससे निकायों को तत्काल राशि प्राप्त हो जाती है । शनैः शनैः यह व्यवस्था प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू करने के प्रयास किये जा रहे है ।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' का प्रकाशन भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.6.2005 मे किया गया है । उक्त अधिनियम के तहत म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शासन स्तर पर उप सचिव को लोक सूचना अधिकारी तथा दो अवर सचिव एवं एक अनुभाग अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसी प्रकार संचालनालय स्तर पर संयुक्त संचालक (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक संचालक को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है । शासन स्तर पर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास को

तथा संचालनालय स्तर पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

संचालनालय के साथ–साथ अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों, नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के लिये भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है । संचालनालय, संभागीय कार्यालयों तथा निकायों के मैन्युअल भी तैयार किये गये है ।

''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये संचालनालय स्तर पर एक पृथक शाखा का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया जाता है ।

6. नगरीय निकायों के निर्वाचन

वित्तीय वर्ष 2006–07 में निम्नांकित नगरीय निकायों के निर्वाचन एवं उपनिर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराये गये :–

सामान्य निर्वाचन

नगरपालिका परिषद	:	पसान, मण्डीदीप, हरदा, माण्डव एवं अमरकंटक ।
नगर पंचायत	:	ईसागढ, राणापुर एंव छनेरा ।

उप निर्वाचन (अध्यक्ष पद हेतु)

नगरपालिका परिषद	:	राघौगढ एवं नागदा ।
नगर पंचायत	:	अमरपाटन एवं बैकुण्ठपुर ।

7. विभागीय पदोन्नतियां, नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण

वर्ष 2006–07 में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 21 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की नियुक्ति विभाग द्वारा की गई है। संचालनालय के 19 तथा संभागीय कार्यालयों के 12 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2006–07 की स्थानान्तर नीति के अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 824 अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है।

8. नगरीय निकायों में अंकेक्षण की व्यवस्था

नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. द्वारा किया जाता है । वर्ष के दौरान निराकृत आपत्तियों की संभागवार जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	संभाग का नाम	कुल आडिट आपत्तियों की संख्या	निराकृत आडिट आपत्तियां	शेष
1	ग्वालियर	17,143	6,128	11,015
2	भोपाल	25,227	3,339	21,888
3	उज्जैन	14,944	413	14,531
4	जबलपुर	13,450	2,736	10,714
5	रीवा	14,952	4,957	9,995
6	इंदौर	24,632	429	24,203
7	सागर	20,726	1,312	19,414
योगः—		1,31,074	19,314	1,11,760

परिशिष्ट–एक

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	आयुक्त	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
2	संयुक्त संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
3	उप संचालक	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
4	सहायक संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
5	सांख्यिकी अधिकारी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
6	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
7	अधीक्षक	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
8	सहायक अधीक्षक	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
9	वरिष्ठ सहायक	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
10	लेखा अधिकारी एस. ए.एस	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
11	लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
12	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
13	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
14	निज सहायक ग्रेड–2	2	—	2	—	—	—	2	—	2	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
15	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
16	सहायक ग्रेड–1	18	—	18	16	—	16	2	—	2	
17	लेखापाल	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
18	सहायक ग्रेड–2	15	—	15	14	—	14	1	—	1	
19	स्टेनोटायपिस्ट	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
20	सहायक ग्रेड–3	30	—	30	27	—	27	3	—	3	

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
21	वाहन चालक	5	2	7	6	—	6	—	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है ।
22	दफ्तरी	4	—	4	3	—	3	1	—	1	
23	भृत्य	16	—	16	13	—	13	3	—	3	
24	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	10	—	10	—	—	—	3 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
25	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
26	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योगः—		139	5	144	125	—	125	18	5	23	

————————

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय मध्यप्रदेश

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	19	—	19	2	—	2	
4	लेखापाल	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
5	सहायक वर्ग–2	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	22	—	22	6	—	6	
7	स्टेनोटायपिस्ट	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
8	वाहन चालक	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
9	भृत्य	14	—	14	15	—	15	—	—	—	न्यायालय के आदेशानुसार रीवा संभाग में 01 भृत्य अधिक कार्यरत है ।
	योग	115	—	115	97	—	97	19	—	19	

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	32	6	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	51	26	25	''—''
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	19	19	''—''
4	आशुलिपिक	27	27	—	''—''
5	वाहन चालक	25	20	5	''—''
6	भृत्य	76	76	—	''—''
7	फर्राश सह चौकीदार	35	35	—	''—''
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 2500 प्रतिमाह)	388	288	100	संविदा नियुक्ति से भरे जाते है
	योग	**678**	**523**	**155**	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1 ग्वालियर संभाग	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. भिण्ड		2. भिण्ड 3. गोहद	5. मेहगांव 6. लहार 7. गोरमी 8. अकोड़ा 9. मिहोना 10. आलमपुर 11. दबोह 12. मौ 13. फूफकलां
	3. मुरैना		4. मुरैना 5. अम्बाह 6. पोरसा 7. सबलगढ.	14. जौरा 15. कैलारस 16. झुण्डपुरा 17. बामौर
	4. श्योपुरकलां		8. श्योपुरकलां	18. विजयपुर 19. बड़ौदा
	5. शिवपुरी		9. शिवपुरी	20. करेरा 21. कोलारस 22. खनियाधाना 23. पिछोर 24. बदरवास 25. नरवर
	6. गुना		10. गुना 11. राधोगढ़	26. चाचौड़ा बीनागंज 27. आरोन 28. कुंभराज
	7.अशोकनगर		12.अशोकनगर 13.चंदेरी	29. मुगावली 30. ईसागढ

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	8. दतिया		14. दतिया	31. भांण्डेर 32. इंदरगढ़ 33. सेवड़ा
2. इंदौर संभाग	9. इंदौर	2. इंदौर		34. देपालपुर 35. सांवेर 36. गौतमपुरा 37. बेटमा 38. राऊ 39. हातौद 40. मानपुर 41. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17.पीथमपुर	42. राजगढ़ 43. कुक्षी 44. बदनावर 45. धरमपुरी 46. धामनौद 47. सरदारपुर 48. मांडव
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	49. अंजड़ 50. राजपुर 51. खेतिया 52. पानसेमल
	12. झाबुआ		20. झाबुआ 21.अलीराजपुर	53. जोबट 54. थांदला 55. पेटलावद 56. भावरा 57. रानापुर
	13.पश्चिमनिमाड़		22. खरगौन 23. सनावद 24.बड़वाह	58. मण्डलेश्वर 59. कसरावद 60. भीकनगांव 61. महेश्वर
	14.पूर्व निमाड़	3. खंडवा		62. मूंदी 63. पंधाना 64. ओंकारेश्वर 65. छनेरा

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	15.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25.नेपानगर	66. शाहपुर
3. उज्जैन संभाग	16. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	67. तराना 68. उन्हेल
	17. नीमच		30. नीमच	69. मनासा 70. रामपुरा 71. जावद 72. जीरन 73. रतनगढ़ 74. सिंगोली 75. डिकेन
	18. देवास	6. देवास		76. कन्नौद 77. सोनकच्छ 78. खातेगांव 79. हाटपिपल्या 80. बागली 81. भौरासा 82. करनावद 83. काटाफोड़ 84. लोहारदा 85. सतवास 86. टोंकखुर्द 87. पिपलरंवा
	19. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	88. नलखेड़ा 89. मक्सी 90. बड़ौद 91. कानड़ 92. अकोदिया 93. सुसनेर 94. सोयतकलां 95. बड़ागांव 96. पोलायकलां

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	20. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	97. ताल 98. सैलाना 99. आलोट 100. नामली 101. बड़ावदा 102. पिपलौदा
	21. मंदसौर		35. मंदसौर	103. शामगढ़ 104. सीतामऊ 105. पिपल्यामंडी 106. नारायणगढ़ 107. मल्हारगढ़ 108. भानपुरा 109. नगरी 110. गरोठ
4. भोपाल संभाग	22. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार	111. बैरसिया
	23. सीहोर		37. सीहोर 38. आष्टा	112. इछावर 113. बुदनी 114. जावर 115. नसरूल्लागंज 116. रेहटी
	24. रायसेन		39. रायसेन 40. बेगमगंज 41.मण्डीदीप	117. औबेदुल्लागंज 118. सुल्तानपुर 119. बरेली 120. बाड़ी 121. सांची 122. उदयपुरा
	25. विदिशा		42. विदिशा 43.गंजबसौदा 44. सिरोंज	123. कुरवाई 124. लटेरी
	26. होशंगाबाद		45. होशंगाबाद 46. इटारसी 47. सिवनीमालवा 48. पिपरिया	125. बाबई 126. सोहागपुर

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	27. हरदा 28. बैतूल		49. हरदा 50. बैतूल 51. आमला 52. सारणी	127. टिमरनी 128. खिड़किया 129. मुलताई 130. बैतूल बाजार 131. भैंसदेही
	29. राजगढ़		53. नरसिंहगढ़ 54. सारंगपुर 55. ब्यावरा	132. राजगढ़ 133. जीरापुर 134. खिलचीपुर 135 तलेन 136 बोड़ा 137. खुजनेर 138. पचोर 139. सुठालिया 140. माचलपुर 141. छापीहेड़ा
5. सागर संभाग	30. सागर	9. सागर	56. बीना इटावा 57. खुरई 58. गढ़ाकोटा 59. रेहली 60. देवरी	142. राहतगढ़ 143. बंडा 144. शाहपुर 145. शाहगढ़
	31. दमोह		61. दमोह 62. हटा	146. तेंदुखेड़ा 147. पथरिया 148. हिन्डोरिया
	32. पन्ना		63. पन्ना	149. अमानगंज 150. देवेन्द्र नगर 151. अजयगढ़ 152. ककरहटी 153. पवई

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	33. छतरपुर		64. छतरपुर 65. नौगांव	154. धुवारा 155. सटई 156. बारीगढ़ 157. महाराजपुर 158. बिजावर 159. गढ़ीमल्हरा 160. बक्सवाहा 161. चंदला 162. बड़ामल्हरा 163. हरपालपुर 164. लौंडी 165. खजुराहो 166. राजनगर
	34. टीकमगढ़		66. टीकमगढ़	167. निवाड़ी 168. पृथ्वीपुर 169. बल्देवगढ़ 170. खरगापुर 171. पलेरा 172. जैरोनखालसा 173. तरीचरकलां 174. जतारा 175. लिधोराखास 176. बड़ागांव 177. कारी 178. ओरछा
6. रीवा संभाग	35. रीवा	10. रीवा		179. बैंकुंठपुर 180. मउगंज 181. त्यौंथर 182. हनुमना 183. चाकघाट 184. गोविन्दगढ. 185. नईगढ़ी 186. सिरमौर 187. मनगवां 188. सेमरिया 189. गुढ़

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	36. सीधी	11. सिंगरौली	67. सीधी	190 चुरहट 191. रामपुरनेकिन
	37. सतना	12.सतना	68. मैहर	192. नागौद 193. बिरसिंहपुर 194. जैतवारा 195. कोटर 196. कोठी 197. अमरपाटन 198. रामपुर–बघेलान 199. उचेहरा 200. चित्रकुट
	38. शहडोल		69. शहडोल 70. धनपुरी	201. बुढ़ार 202. ब्यौहारी 203 जयसिंहनगर 204. खाण्ड
	39.अनूपपुर		71.कोतमा 72.पसान	205.अनूपपुर 206.जैतहरी 207.बिजूरी 208.अमरकंटक
	40. उमरिया		73. उमरिया	209. चंदिया 210. नौरोजाबाद 211. पाली
7जबलपुर संभाग	41. जबलपुर	13. जबलपुर	74. पनागर 75. सिहोरा	212. बरेला 213. भेड़ाघाट 214. शाहपुरा 215. पाटन 216. मझौली 217. कटंगी
	42. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		218. बरही 219. कैमोर 220. विजयराधवगढ़
	43. बालाघाट		76. बालाघाट 77.वारासिवनी 78.मलाजखंड	221. कटंगी 222. बैहर

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
	44. छिन्दवाड़ा		79.छिन्दवाड़ा 80. पांढुर्ना 81.जुन्नारदेव जामई 82. डोगर परासिया	223. हर्रई 224. चौरई 225. लोधीखेड़ा 226. सौंसर 227. न्यूटन चिखली 228. अमरवाड़ा 229. चांदामेटा बुटारिया 230. मोहगांव
	45. नरसिंहपुर		83.नरसिंहपुर 84.गाडरवारा	231. गोटेगांव 232. करेली
	46. सिवनी		85. सिवनी	233. लखनादौन 234. बरघाट
	47. मंडला		86. मंडला 87. नैनपुर	235. बम्हनीबंजर
	48. डिण्डोरी			236. डिण्डोरी 237. शाहपुरा

नगर पालिक निगम	**14**
नगरपालिका परिषद	**87**
नगर पंचायत	**237**
योग	**338**

———

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2006–07 का बजट प्रावधान तथा आवंटन

(अ) आयोजना मद — रूपये लाख में

शीर्ष	योजना क.	योजना का नाम	मूल,प्रथम,द्वितीय अनुपूरक एव समर्पण के उपरांत बजट प्रावधान वर्ष 06–07				दिसम्बर 06 तक व्यय			
			सामान्य	एस सी एस पी	टी एस पी	योग	सामान्य	एस सी एस पी	टी एस पी	योग
			22/81	53	68		22/81	53	68	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय **(22)**	26.42	0.00	0.00	26.42	18.73	0.00	0.00	18.73
2217	7400	सिहस्थ 2004 **(22)**	333.26	0.00	0.00	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2217 4217 6217	7905/ 7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास**(एडीबी) 22**	8903.98	2096.02	0.00	11000.00	760.00	90.00	0.00	850.00
		योग मांग संख्या 22	**9263.66**	**2096.02**	**0.00**	**11359.68**	**778.73**	**90.00**	**0.00**	**868.73**
2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	728.57	138.75	131.10	998.42	418.69	83.65	79.05	581.39
2217	1788	झुग्गी झोपडी क्षेत्रो में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था	129.80	88.96	24.55	243.31	129.80	88.96	24.55	243.31
2217	6862	अयोध्या वस्ती योजना	0.00	154.73	179.73	334.46	0.00	154.73	179.73	334.46
2217	209/210	अन्य विकास कार्य	0.01	445.07	270.38	715.46	0.00	360.07	270.38	630.45
2217	4261	शुष्क शोचालयों को फ्लश शोचालयों में परिवर्तन	0.01	0.50	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	18776.52	6603.51	0.00	25380.03	10407.91	4316.26	0.00	14724.17
2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	1862.56	1873.74	820.07	4556.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2217	7983	निजी कालोनियों में 15 प्रतिशत आरक्षित भूमि का मुआवजा	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	8808	सूचना प्राद्योगिकी संबंधी कार्य	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	7893	12 वे वित्त आयोग की अनुशंसा अनूसार नगरीय निकायों को एक मुश्त अनुदान	4985.00	1241.00	994.00	7220.00	2492.50	620.50	497.00	3610.00
2217	179	सफाई कामगारें के लिये समूह बीमा योजना	0.00	35.26	0.00	35.26	0.00	32.28	0.00	32.28
2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	84.42	0.00	0.00	84.42	45.21	0.00	0.00	45.21
4217	6987	देवास जिले के शहरी क्षेत्रों का विकास	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6217	2175/210/209	नगर पालिकाओं को अन्य ऋण	0.00	87.47	65.00	152.47	0.00	83.06	65.00	148.06
2217	5169	मध्यान्ह भोजन	170.00	30.00	0.00	200.00	170.00	30.00	0.00	200.00
		योग मांग संख्या 81	**27361.92**	**10698.99**	**2484.83**	**40545.74**	**13664.11**	**5769.51**	**1115.71**	**20549.33**
		योग मांग संख्या 22 एवं 81	**36625.58**	**12795.01**	**2484.83**	**51905.42**	**14442.84**	**5859.51**	**1115.71**	**21418.06**

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय

वर्ष 2006–07 का बजट प्रावधान, आवंटन तथा व्यय

रूपये लाख में

(ब) आयोजनेत्तर सामान्य 81

शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	आवंटन	दिसम्बर 06 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना	1750.00	1575.00	1181.25
3604	8017	वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से शहरी स्थानीय निकायों को सडक मरम्मत के लिये अनुदान	5414.91	4873.42	3663.35
3604	8018	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान (चुगी)	50470.00	45423.00	34511.14
3604	8860	वाणिज्य कर पर प्रभारित अधिभार की राशि का स्थानीय निकाय को भुगतान (मुलभूत सुविधा)	24000.00	21600.00	16149.92
3604	3217	म प्र अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन वसूल किये जाने वाले अर्थ दंड	0.50	0.45	0.00
3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समपित शुल्क अर्थ दंड तथा अन्य प्राप्तियां	2754.13	2754.13	2705.17
3604	5866	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के मुलभूत सेवाओं के लिये एक मुश्त अनुदान	8313.86	7482.47	5195.33
3604	9436	यात्री कर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों का विशेष अनुदान	7118.90	6407.01	4805.28
6217	2175	नगर पालिकाओं को अन्य ऋण	0.01	0.01	0.00
		योग मांग संख्या 81	99822.31	90115.49	68211.44
		सामान्य 22			
2217	2122	पेशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यलय व्यय)	36.00	35.24	25.69
2217	6148	वेतन भत्ते संचालनाल एवं संभागीय कार्यालय	261.09	257.84	201.65
2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)	2.00	1.80	1.80
		योग मांग संख्या 22	299.09	294.88	229.14
		योग मांग संख्या 22 एव 81	100121.40	90410.37	68440.58